

ब्रजेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ, शिव महिमा के प्रसंगों से भावविभोर हुए श्रद्धालु



फतेहपुर सीकरी। ब्रजेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस श्रद्धालु शिव भक्ति में सराबोर हैं। कथा व्यास पंडित आदित्य मनोहर पाठक ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए अनेक प्रेरणादायक प्रसंग सुनाए। कथा के दौरान उन्होंने शिव महिमा, देवराज प्रसंग, बिंदु एवं चुंचला का प्रसंग तथा शिव नाम की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की भक्ति और उनके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश होता है तथा जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण मानव जीवन को धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कथा व्यास ने कहा कि सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने वाला भक्त कभी निराश नहीं होता। शिव नाम का जाप व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों को दूर कर आत्मिक शांति प्रदान करता है। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहे और पूरा मंदिर परिसर ‘हर-हर महादेव’ तथा ‘बम-बम भोले’ के जयघोष से गुंज उठा। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर सुख-धमृद्धि की कामना की।

जौताना-मंडी मिर्जा खां मार्ग का शिलान्यास, 39 लाख से बनेगी 500 मीटर सड़क



अग्र भारत संवाददाता फतेहपुर सीकरी। मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विकास खंड के ग्राम जौताना से मंडी मिर्जा खां तक 500 मीटर लंबे मार्ग के निर्माण कार्य का गुरुवार को विधायक चौधरी बाबूलाल ने शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण 39 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।

विधायक चौधरी बाबूलाल ने कहा कि जौताना से मंडी मिर्जा खां मार्ग के निर्माण की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। सड़क बनने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और ग्रामीणों को बेहतर संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता डॉ. रामेश्वर सिंह, प्रधान रूप सिंह, पप्पू प्रधान, रमन चौधरी, हरिओम सिंह, चोब सिंह, हाकिम डायरेक्टर, दुर्गा सिंह प्रधान, वीरेंद्र प्रधान, मुन्ना चौधरी, प्रेम सिंह बघेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र सिंह, चंद्र प्रकाश शर्मा, गजेंद्र प्रधान (डब्लर), सुनील प्रधान (पाली), पूर्व प्रधान लाखन सिंह, डब्बू प्रधान (भड़कोल), यादराम प्रधान (मंडी मिर्जा खां), अजीत प्रधान (सिरौली), राजेंद्र सरपंच (उत्तु), रामेश्वर कुशवाहा (नगला सोमनाथ), बंटी सागर, दलवीर चौमा, सतीश, सत्यवीर चौमा, दशरथ (पाली), मोहन सिंह (ओलेंडा) सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

गाली-गलौज का विरोध करने पर दंपति से मारपीट, छह नामजद के खिलाफ मुकदमा

किरावली (अग्र भारत)। थाना क्षेत्र के गांव महउर में गाली-गलौज का विरोध करने पर दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक ही परिवार के छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव महउर निवासी गफ्फार खाँ पुत्र नब्बू खाँ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 जुलाई की रात करीब आठ बजे गांव के कुछ लोग उनके घर के बाहर गली में आकर बिना किसी बात के गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

पीड़ित का आरोप है कि शोर सुनकर उनकी पत्नी रुकसाना बीच-बचाव के लिए पहुंचीं तो आरोपित पक्ष की महिलाओं ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। घटना के दौरान शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग कराया। आरोप है कि जाते समय आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

पुलिस ने गफ्फार खाँ की तहरीर पर भोला पुत्र टीकम सिंह, मोनू पुत्र टीकम सिंह, टीकम सिंह पुत्र थारै लाल, टीकम सिंह की पत्नी, निरवला पुत्री टीकम सिंह और प्रियंका पुत्री टीकम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उधार के रुपये मांगने पर घर में घुसकर मारपीट, महिला समेत दो घायल; चार पर मुकदमा

किरावली (अग्र भारत)। थाना क्षेत्र के गांव जिटोरा में उधार दिए गए रुपये वापस मांगने पर घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्राम जिटोरा निवासी सुरजीत सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब छह माह पहले उन्होंने और उनके बड़े भाई सोमवीर सिंह ने पड़ोसी वीरेंद्र सिंह पुत्र मंटोली को 20 हजार रुपये उधार दिए थे। आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर आरोपी पक्ष विवाद करने लगता था।पीड़ित के अनुसार, 25 जुलाई को दोपहर करीब दो बजे वीरेंद्र सिंह की पत्नी ओमवती तथा उनके दोनों बेटे मनीष और नरेंद्र कथित रूप से उनके घर में घुस आए। आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज करते हुए सुरजीत सिंह और बीच-बचाव करने आई उनकी भाभी गायत्री पत्नी सोमवीर सिंह के साथ मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए।पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए किरावली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर वीरेंद्र सिंह, ओमवती, मनीष और नरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों को झांसे में लेकर चांदी के जेवर ढगाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

खेरागढ़ पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई, चांदी के आभूषण, नकदी, बाइक व गहने साफ करने का सामान बरामद

अग्र भारत संवाददाता

खेरागढ़। थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस (पश्चिमी जोन) की संयुक्त टीम ने महिलाओं व बच्चों को बहला-फुसलाकर गहने साफ करने के बहाने चांदी के आभूषण उगाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शांतिर आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के चांदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की मोटरसाइकिल, नकदी तथा गहने साफ करने में प्रयुक्त उपकरण और केमिकल बरामद किए हैं।

थाना क्षेत्र के गांव छेत्री पहाड़ी निवासी कमलेश ने 27 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जुलाई को वह घर में नहा रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल से आए एक युवक ने घर में अकेले मौजूद बच्चों से खुद को गहने साफ करने वाला बताते हुए चांदी की चेन और तोड़िया ले लिए और फरार हो गया।



पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। गठित टीम ने 28 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर तीन आरोपितों

पियूष पुत्र राजकुमार (नवादा, बिहार), कहैया शाह पुत्र विनयचंद्र शाह (नवादा, बिहार) तथा विक्की

पुत्र मुस्तफा शाह (गया, बिहार) को गिरफ्तार कर लिया। जबकि गिरोह का एक अन्य सदस्य दीपक निवासी पटना, बिहार फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पृष्ठताछ में आरोपितों ने बताया कि गिरोह के सदस्य पहले गांवों में रेकी कर महिलाओं और बच्चों को गहने साफ कर चमकाने का झांसा देते थे। विश्वास जीतने के बाद आभूषण लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से दो जोड़ी पायल, एक चेन, दो अंगूठी, बिना नंबर की मोटरसाइकिल, दो गैस सिलेंडर, दो इलेक्ट्रॉनिक तराजू, दो डिजिटल गोल्ड मशीन, केमिकल, ब्रश, चिमटी सहित अन्य उपकरण बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धाराओं बढ़ोत्तरी की गई है।गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी हरीश कुमार, एसओजी प्रभारी अभिषेक कुमार, सर्विलांस प्रभारी सचिन कुमार, उपनिरीक्षक नीरज कुमार व अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी

प्रभारी निरीक्षक ने कांबड़ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण, शिविर चेक

के साथ कांबड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र में कांबड़ यात्रियों के मार्ग को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया गया है। बारिश के

है। अगर ज्यादा जलभराव होता है तो पालिका पंप सैट लगा कर पानी कीनिकासी करके कांबड़ यात्रियों के मार्ग को सुगम बनाने का काम करेगी। इसके साथ ही पालिका पूरे मार्ग पर साफ सफाई की व्यवस्था भी रखेगी। वहीं कांबड़ यात्रियों के विश्राम और दवा के लिए जगह-जगह शिविर लगाये गए हैं। जहां उन्हें विश्राम करने के साथ ही दवा का भी प्रबंध रहेगा। इसके अलावा उनके स्लपहार के लिए भी शिविर बनाये जायेंगे। जिससे कांबड़ यात्रा ले कर आ रहे कांबड़ियों को जल एवं खाने-पीने की व्यवस्था की जायेगी। इस्पेक्टर ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इस दौरान उन्होंने कांबड़ियों से भी अपील की है कि वे मर्यादा में रहते हुए कांबड़ को लेकर जाएं।

समय होने वाले जलभराव की व्यवस्था केलिए पालिका ने पूरी तैयारी कर रखी

किसी प्रकार का अनावश्यक कार्य ना करें।

मृत घोषित वृद्धा, 30 घंटे बाद जिंदा

दामाद का हाथ पकड़ बोली अभी मैं जिंदा हू परिवारजन कर रहे थे अंतिम संस्कार की तैयारी



के लोग शीला देवी के शव को एम्बुलेंस से आगरा ले आए। यहां पर परिवारजन उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनके दामाद को शीला देवी की बाँड़ी में कुछ हलचल दिखी जिस पर उन्होंने हाथ लगाया तो शीला देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली मैं अभी जिंदा हूं। इसके बाद वह बोली सब लोग रो क्यों रहे है। वही शीला देवी को जिंदा देख परिवार के लोगों के साथ ही आस पड़ोस के लोग भी चौक गए। परिवारजन उनको लेकर अस्पताल पहुंचे और उनका इलाज करवाया।

जैन समाज और मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा

जैन समाज ने मंदिर में पत्रकार वार्ता कर दी पूरी जानकारी कूट रचित सोसायटी गठित करते हुए पाटशाला पर बनाया गोदाम



शिकोहाबाद। पथर मंडी कटरा बाजार में कांच के भव्य मंदिर के नाम से जैन मंदिर है। जिसा पूर्व में समाज के ही एक दंपति ने निर्माण कराया था। इस मंदिर में संपूर्ण जैन समाज ने दान व चंदा देकर उसका जीर्णोद्धार करारक समाज को समर्पित कर दिया था। इस मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चला। बाद में एक पक्ष ने इसे समाज के लिए समर्पित कर अपना दावा छोड़ दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष ने इस जमीन पर बाल जैन धर्म पाठशाला के निर्माण की बात कह कर कूट रचित सोसायटी का गठन करते हुए अपने ही परिवार के लोगों को समिति में रखा और फिर मंदिर की जमीन पर अपना गोदाम बना लिया। इसको लेकर जैन समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। समाज अब इस मामले को जैन समाज के सतों के सामने रखने का भी मन बना रहा है।

गुरुवार सुबह 11 बजे जैन समाज के लोग बड़ा जैन मंदिर पर एकत्रित हुए और समाज के ही व्यक्ति द्वारा जैन मंदिर की भूमि पर गोदाम व अन्य

निर्माण कार्य कराने का विरोध किया। 15 दिन पूर्व समाज के लोगों ने इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से की थी। जिसके बाद से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। जैन समाज के यतीन्द्र कुमार जैन ने समाज के लोगों को एकत्रित करके इस मामले की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जैन मंदिर से लगी हुई जो भूमि शरद कुमार, यतीन्द्र कुमार जैन पर किराये पर थी। जिसकी सीमाएं पूर्व में जैन मंदिर, पश्चिम और उत्तर में सड़क सरकारी व दक्षिण में जफर हुसैन आदि हैं। उक्त भाइयों ने जमीन को किराया अदा करके खाली कर दिया। इसके बाद समाज ने उक्त भूमि पर बच्चों हेतु धार्मिक शिक्षा के लिए पाठशाला का निर्माण कराने का निर्णय लिया। लेकिन समाज के ही एक व्यक्ति ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एक सोसायटी का गठन किया, जिसमें अपनी पत्नी, बच्चे को उच्च पदों पर आश्रीन कर धर्मशाला की जमीन पर गोदाम बना कर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं

उनका आरोप है कि विनोद जैन उत्तर की जमीन पर मकान और दुकान बना कर भी अवैध कब्जा कर रहा है। उनका कहना है कि उक्त व्यक्ति द्वारा शटरिंग लगवा दी है, जिससे समाज के लोगों को मंदिर में दर्शन के लिए भारी परेशानी कासामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त मंदिर की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवा कर तत्काल खाली कराया जाए। चेतावनी दी अगर ऐसा नहीं हुआ तो संपूर्ण जैन समाज इसके लिए आगे की रणनीति तय करके चालूमांस में पधारे जैन संत के सज्जान में लायेगा और इसका संत द्वारा निर्णय कराया जायेगा। इस मंदिर की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के विरोध में जैन समाज बड़ी संख्या में विरोध में है। इस दौरान अनिल कुमार जैन, रमेश चंद्र जैन, अनंत जैन, दीपक जैन, गौरव जैन, राकेश चंद्र जैन, पिंटू जैन, ज्योती जैन, ज्ञानेन्द्र जैन, नरेन्द्र जैन, जितेन्द्र जैन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।

पांच दिन से लापता युवक का नहीं लगा सुराग स्वजन युवक की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर

अग्र भारत संवाददाता

शिकोहाबाद। पांच दिन पूर्व नगर के मोहल्ला लेबर कालोनी निवासी एक 20 वर्षीय युवक बिना बताए घर से कहीं चला गया। उसको गये पांच दिन हो गये, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला है। युवक के स्वजन उसकी तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। इस मामले में थाना पुलिस ने भी युवक की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

लेबर कालोनी निवासी युवक अंकुर उपाध्याय उर्फ दिव्यांशु पुत्र प्रदीप उपाध्याय 25 जुलाई को घर से बिना बताए चला गया है। उसको घर से गये लगभग पांच दिन का समय बीत गया, लेकिन अभी तक युवक की कोई खबर स्वजनों को नहीं मिली है। स्वजन युवक की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से कोई राहत भरी सूचना नहीं मिल पा रही है। इस मामले में स्वजनों ने थाना में युवक की गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। युवक की मां शालिनी उपाध्याय का रो-रो कर बुरा हाल है। उसके घर में मायूसी छाई हुई है। स्वजन उसके लौटने का इंतजार करते रहते हैं।

जमीनी बंटवारे को लेकर हुआ झगड़ा, चार नामजद

शिकोहाबाद। नसीरपुर के गांव हरगनपुर में जमीनी बंटवारे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसमें पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार लोगों के विरुद्धमारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरगनपुर निवासी जगदीश पुत्र निहाल सिंह ने थाने में तहरीर दी है। जिसमें उसने कहा है कि मंगलवार को शाम साढ़े चार बजे जमीन के बंटवारे को लेकर रविन्द्र उर्फ लट्ठी, अरविंद उर्फ गटा, हरीनिवास , सियाम बिहारी उर्फ बडेलाल निवासी हरिया द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर उक्त चारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।